न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) इटावा जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
31/21	01.04.2021	12/1/2023

1. महेन्द्र कुमार पुत्र गिरिराजधरण जाति महाजन निवासी सीरावाली तहसील मांगरोल जिला बांरा राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

1– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट

निर्णय

1. संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र–लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2075–2078 खसरा नम्बर 805 रकबा 2.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 816/1 रकबा 1.000 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.48 है0 भूमि स्थित है। जिसे वाद पत्र की आगे की मदों में विवादित आराजी कहा गया है।

यह कि विवादित आराजी वादी के संयुक्त खाते व कब्जा काश्त की आराजी है जिसमें वादी के पिता नाम गिरिराजशरण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो कि वादी के पिता के बचपन का नाम है किन्तु बाद के अन्य रिकॉर्ड यथा प्रशासनिक, स्कूल, राशनकार्ड, आधारकार्ड, मतदाता पहचानपत्र आदि में वादी के पिता का गिरिराजधरण दर्ज है दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है किंन्तु वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपुर्वक गिर्राजधरण के स्थान पर गिर्राजशरण दर्ज हो रहा है। वादी के पिता दो भिन्न भिन्न रिकॉर्ड व नाम हो जाने के कारण वादी को कृषि विकास कार्यो को करवाने, बैंक लोन आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने पिता का नाम इन्द्राज दुरस्ती करवायें तथा वादी अपने पिता का नाम गिरिराजशरण के स्थान पर गिरिराजधरण दर्ज करवाये। इस कारण वादी अपने पिता का सही नाम गिरिराजधरण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकार है।

यह कि वादी के पिता का नाम गिरिराजधरण के स्थान पर गिरिराजशरण दर्ज हो जाने के कारण वादी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वादी ने प्रतिवादी से

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

कई बार राजस्व रिकार्ड की उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने बाबत निवेदन किया किन्तु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया टाल–मटोल किया, उन्होंने कोई कार्यवाही नही की तथा दिनांक 12.03.2021 को अन्तिम बार निवेदन करने पर प्रतिवादी द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया । इस कारण माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

यह कि वाद कारण विवादित आराजी वादी द्वारा दिनांक 12.03.2021 को प्रतिवादी से वादी के पिता का नाम दुरूस्त करने का निवेदन करने तथा प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजी में वादी के पिता का नाम दुरूस्त करने से इन्कार करने व सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु आदेशित करने पर उत्पन्न हुआ।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित फरमायी जावे की विवादित आराजी ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2075–2078 खसरा नम्बर 805 रकबा 2.48 हैक्टर खसरा नम्बर 816/1 रकबा 1.0000 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.48 हैक्टर भूमि में वादी कके पिता का नाम गिरिराजधरण दर्ज किया जावे तथा वादी के पिता का नाम गिरिराजधरण के नाम से खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी सरकार की ओर से जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जवाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी ग्राम लक्ष्मीपुरा ख0न0 805 रकबा 2.48 है0 व ख0न0 816/1 रकबा 1.00 है कुल किता 2 कुल रकबा 3.48 है0 भूमि महेन्द्र कुमार पुत्र गिरिराजशरण जाति महाजन निवासी सीसवाली के नाम खातेदारी दर्ज है।

उक्त भूमि मे प्रार्थी महेन्द्र कुमार कि पिता का नाम गिरिराजशरण दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति दस्तावेज–आधारकार्ड ड्राइविंग लाइसेंस में प्रार्थी के पिता का नाम गिरिराजधरण दर्ज है। प्रार्थी के पिता के आधार कार्ड में भी नाम गिरिराजधरण दर्ज है।

अतः सलंग्न दस्तावेज फोटो प्रति अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम गिरिराज धरण करने की (राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की) अनुशंषा की जाती है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। वकील वादी की ओर से महेन्द्र कुमार का शपथ प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रकरण मे ओर कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना नही चाहते है अतः साक्ष्यवादी बंद की जाती है। प्रकरण में जवाब पेश हो चुका है। अतः पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

[illegible]

बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र–लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2075–2078 खसरा नम्बर 805 रकबा 2.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 816/1 रकबा 1.000 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.48 है0 स्थित भूमि मे वादी के पिता का नाम गिरिराजशरण के स्थान पर गिरिराजधरण दर्ज किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड प्रशासनिक, स्कूल, राशनकार्ड, आधारकार्ड, मतदाता पहचानपत्र आदि में वादी के पिता का गिर्राजधरण दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2041 से 2060 माल ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का लक्ष्मीपुरा भू0अ0निरीक्षक अयाना तह0पीपल्दा मे वादी के पिता का नाम गिरराजधरण दर्ज रेकार्ड है। तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत जवाव मे भी वादी के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में गिरिराजशरण के स्थान पर गिरिराजशरण किये जाने की अभिशंषा की है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र–लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2075–2078 खसरा नम्बर 805 रकबा 2.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 816/1 रकबा 1.000 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.48 है0 भूमि में वादी के पिता का नाम गिरिराजशरण के स्थान पर गिरिराजधरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
इटावा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

1. महेन्द्र कुमार पुत्र गिर्राजधरण जाति महाजन निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां राजस्थान। – वादीगण

बनाम

1– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
– प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री पुष्पेन्द्र सिह हाडा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र–लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2075–2078 खसरा नम्बर 805 रकबा 2.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 816/1 रकबा 1.000 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.48 है0 भूमि में वादी के पिता का नाम गिरिराजशरण के स्थान पर गिरिराजधरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

डिक्री मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 12/1/2023 को जारी किया गया।

...क कलेक्टर ... ...पालक मा...
इटावा ... कोटा

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
कलक्टर एवं [illegible] पालक ...
इटावा जिला कोटा